न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–67/2021

1. मुबारक, सावण खां, नूरा, मन्नत, जैना, मोजन खां (फौत), रहीमखां ,मकबूल खां, जन्नत पिसरान/पत्नी अलाबसाया जाति मुसलमान निवासी सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. गामा, रेशमा, रशीदा, मकसूद, रफीकखां, सबीरा, सदाम पिसरान मोजनखां, जाति मुसलमान निवासी सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादीगण

बनाम

1. असमील पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सलीम खान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. राजपैरोकार अनुपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :– ....

यह वादीगण का वादपत्र जरिये अधिवक्ता सलीम खान न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पति/पिता/दादा श्री अलाबसाया पुत्र श्री मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी फलावाली हाल आबाद सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से श्रीमान ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकाम बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 18.03.1988 के द्वारा राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं0 17 के.जे.डी.'ए' के मु0नं0 105/28 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9–9 बीस्वा 2.05 बीघा कमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटन के तहत आवंटन होकर दिनांक 18.03.1988 को आवंटन आदेश जारी होने के बाद प्रार्थीगण के पति/पिता/दादा अलाबसाया के नाम से गिरदावरी सम्वत् 2043 से 2046 में रिकार्ड दर्ज कर दिया गया। खसरा गिरदा[illegible] 2052 से 2055 बनाते समय अलाबसाया पुत्र मोहम्मद मु[illegible]हाल सामरदा तहसील खाजूवाला के स्थान पर किसी दूसरे काश्तकार असमील पुत्र नाजू खां मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जो कि गलत है और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा गिरदावरी में असमील पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला दर्ज कर रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया है जो आजतक चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:08:26 IST
Reason: SelfAttested

असमील के नाम से चक 17 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 में कुल 19.03 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन के तहत आवंटित है व इसकी खातेदारी सनद का नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 21.12.1999 दर्ज है और किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक 9–9 बिस्वा कुल 2.05 बीघा भूमि कभी भी असमील पुत्र नाजूखां को आवंटन ही नहीं हुई है तथा ना ही कभी आवंटन की मांग की गई है इसलिए असमील पुत्र नाजूखां के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता/दादा अलाबसाया के वारिसान का नाम दुरस्त किया जावे ताकि प्रार्थीगण उक्त भूमि का विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाने व कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही करवाने में दिक्कतों व परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। अतः नामान्तकरण में दर्ज असमील पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला के स्थान पर अलाबसाया के वारिसान के नाम की घोषणा कर दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट क्रमांक1297 दिनांक 29.06.2021 व पत्रांक 1318 दिनांक 06.07. 2021 प्राप्त जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 17 केजेडी ए सम्वत् 2076 (से स्थाई) खाता संख्या 62 मु0नं0 105/28 किला नं0 21/2 – 0. 1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 22/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 23/2 – 0. 1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 24/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 25/2 – 0. 1138 है0 कमाण्ड कुल रकबा 0.5690 है0 कमाण्ड भूमि अस्मील पुत्र नाजु खां जाति मुसलमान सा0 नौसेरा तहः खाजूवाला स्मालपेच आवंटन दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक गिरदावरी सम्वत् 2043–2046 सम्वत् 2044 में श्रीमान् एसीसी छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आवंटन आदेश दिनांक 18.03.1988 द्वारा मु0नं0 105/28 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल रकबा 2.05 बीघा कमाण्ड भूमि अलाबसाया पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान स्मालपेच आवंटन के अमलदरामद का नोट अंकन है। उसके बाद मुताबिक प–13 सम्वत् 2047 से आदिनांक तक अप्रार्थी के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। गिरदावरी सम्वत् 2052–2055 में अस्मील पुत्र नाजुखां का नाम गिरदावरी सम्वत् 2047–2051 के आधार पर आया है। गिरदावरी सम्वत् 2047–2051 में उक्त रकबा अस्मील पुत्र नाजुखां जाति मुसलमान निः नौसेरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु उक्त अंकन के अमलदरामद संबंधी कोई आदेश अथवा नोट नहीं है तथा मु0नं0 105/28 में पूर्व से ही किला नं0 1 ता 20 रकबा 18.04 बीघा पु.आ. एवं सम्वत् 2045 में अस्मील पुत्र नाजुखां के नाम किला नं0 16 [illegible] में 0.19 बिस्वा भूमि स्मालपेच आवंटन के अमलदरामद का अंकन था। [illegible] प–13 रिकॉर्ड अस्मील पुत्र नाजुखां के नाम उक्त रकबा संभवतः लिपिकीय [illegible] से अंकन हो सकता है। टीआरए सैल रजिस्टर अनुसार अलाबसाया पुत्र मोहम्मद [illegible] मुसलमान को 17 केजेडी ए के मु0नं0 105/28 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल रकबा 2.05 बीघा कमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटन दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:08:26 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 17.8.21 न्यायालय हाजा में अप्रार्थी ने उपस्थित होकर लिखित शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान किया कि विवादित आराजी चक 17 केजेडी ए के मु0नं0 105/28 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल 2.05 बीघा वादीगण के पति/पिता/दादा अल्लाबसाया को 1988 में अलॉट हुई थी। उक्त भूमि असमील को कभी आवंटित नहीं हुई थी। ना ही उक्त भूमि की मेरे द्वारा कभी मांग की गई है। आगे बयान किया कि आधारकार्ड सं0 982320124574 में उसका नाम गलती से ईस्माइलखां दर्ज हो गया है। इस संबंध में सरपंच नौसेरा सामरदा विजेता भादू की तरफ से जारी किया प्रमाणपत्र भी पेश किया जिसमें सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया है कि असमील पुत्र नाजुखां और ईस्माइल पुत्र नाजुखां एक ही व्यक्ति है। असमील व ईस्माइल एक ही व्यक्ति है की न्यायालय हाजा द्वारा की गई तहकीकात के संबंध में दिनांक 22.11.21 कैम्प के दौरान सरपंच नौसेरा ने इस तथ्य की तस्दीक की कि असमील और ईस्माइल एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार खाजूवाला खाजूवाला से भी इस संबंध में रिपोर्ट ली गई कि क्या असमील तथा ईस्माइलखां एक ही व्यक्ति है या अलग–अलग है इस संबंध में तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट क्रमांक 372 दिनांक 12.7.22 प्राप्त जिसके अनुसार असमील पुत्र नाजुखां व ईस्माइलखां पुत्र नाजुखां एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.12.21 को प्रस्तुत उक्त रकबे से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली (कार्यालय जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारी नकल क्रमांक 2552 दिनांक 28.12.21) प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जिसमें संलग्न आवंटन आदेश में चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल 2.05 बीघा भूमि में अलाबसाया का नाम अंकित है। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.7.22 को गिरदावरी 2047–2050 व शपथपत्र पेश किया कि प्रार्थीगण अलाबसाया के जायज वारिसान है तथा उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के अलावा किसी भी न्यायालय में जैरकार नहीं है और ना ही किसी भी न्यायालय में फैसला किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त वारिसान की दूसरे रकबे चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/29 की जमाबंदी पेश की।

वादी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार करने निवेदन का अनुतोष चाहा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:08:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने वादपत्र/प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट तथा मूल आवंटन पत्रावली से साबित हो रहा है कि उक्त रकबा अलाबलाया को स्मालपेच आवंटित हुआ था और असमील का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज हुआ है जिसको दुरस्त किया जाकर अलाबसाया के वारिसान के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र/प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में चक 17 केजेडी ए के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल 2.05 भूमि में अप्रार्थी असमील पुत्र नाजुखां की जगह अलाबसाया के जायज वारिसान वादीगण/प्रार्थीगण के नाम नियमानुसार दर्ज किया जावे शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:08:26 IST
Reason: SelfAttested